पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपहरण कर हत्या के अभि0गण को माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूँ द्वारा आजीवन कारावास व 82,000/- रु के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया।

थाना उझानी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1568/2012 धारा 147/364/302/149/201 भादवि बनाम अभि0गण 1. निहाल सिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम कुर्वी थाना वजीरगंज जनपद बदायूं, 2.बलराम पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम मलिकपुर थाना बसौली जनपद बदायूं, 3. भूरे उर्फ सुखवीर पुत्र निहाल सिंह यादव निवासी ग्राम कुर्वी थाना वजीरगंज जनपद बदायूं, 4. नन्हे उर्फ योगेन्द्र पुत्र निहाल सिंह यादव निवासी ग्राम कुर्वी थाना वजीरगंज जनपद बदायूं तथा 5. शिशुपाल पुत्र सूबेदार यादव निवासी ग्राम कुलचौरा थाना सि0ला0 जनपद बदायूँ की विवेचना विवेचक श्री गमलेश्वर विल्टोरिया प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी द्वारा की गई। विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूं आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार हे0का0 रमेशचन्द्र मीना थाना उझानी द्वारा मा0 न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूं में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी। जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 30-03-2024 को माननीय न्यायालय डीजे कोर्ट बदायूं द्वारा दोषसिद्ध अभि0गण 1. निहाल सिंह, 2. बलराम, 3. भूरे उर्फ सुखवीर, 4. नन्हें उर्फ योगेन्द्र तथा 5. शिशुपाल उपरोक्त को आजीवन कारावास व 82,000/- रु के अर्थदण्ड से प्रत्येक को दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पैरवी करने वाले पैरोकार हे0का0 रमेशचन्द्र मीना थाना उझानी तथा लोक अभियोजक श्री अनिल राठौर तथा विवेचक श्री गमलेश्वर विल्टोरिया प्रभारी निरीक्षक थाना उझानी का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं।